

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 7/18

पवन सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर आयु
27 वर्ष निवासी ग्राम सिहोनिया, थाना सिहोनिया,
जिला मुरैना, म.प्र. —आवेदक
विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 12/18

रवि सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह तोमर आयु 25 वर्ष
निवासी ग्राम सिहोनिया, जिला मुरैना, म.प्र.।
—आवेदक
विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 13/18

पारथ सिंह पुत्र रामरूप सिंह तोमर आयु 19 वर्ष
निवासी ग्राम सिहोनिया, जिला मुरैना, म.प्र.।
—आवेदक
विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 14/18

विशन सिंह तोमर पुत्र बीरेंद्र सिंह तोमर आयु 32
वर्ष निवासी ग्राम नौगांव थाना रिठौरा जिला
मुरैना, म.प्र.।
—आवेदक
विरुद्ध
पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

09-01-2018

आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह की ओर से टी0पी0 तोमर अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्तगण रवि सिंह, पारथ सिंह व विशन सिंह की ओर से श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक 218/17 अंतर्गत धारा

307, 294, 34 भा0दं0सं0 एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 7/18 आवेदक पवन सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 12/18 आवेदक रवि सिंह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 13/18 आवेदक पारथ सिंह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 14/18 आवेदक विशन सिंह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 का है। इस प्रकार एक ही मामले में चारों आवेदक/अभियुक्तगण के पृथक-पृथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। चारों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण चारों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक पवन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री टी0पी0 तोमर एवं आवेदक/अभियुक्तगण रवि सिंह, पारथ सिंह व विशन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री के0सी0 उपाध्याय द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

सभी आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण पवन सिंह, रवि सिंह, पारथ सिंह व विशन सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना मालनपुर द्वारा झूठी कहानी गढ़कर असत्य आधारों पर एक झूठा अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आवेदकगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उन्हें विरोधियों से मिलकर साजिश झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण निर्दोष हैं। आवेदकगण नवयुवक होकर कृषि पेशा व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध आज तक कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। आवेदकगण का आरोपित अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदकगण को अधिक समय तक न्यायिक निरोध में रखा गया तो आवेदकगण की फसल बर्बाद हो जायेगी और आवेदकगण के परिवार के समक्ष भरण-पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आवेदकगण पर आरोपित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदकगण के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन इन आधारों पर किया है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर नेशनल हाईवे पर सवारी बस के ड्रायवर पर जान से मारने की नियत से गैर लायसेंसी 315 बोर की बंदूकों से फायर किये जाने के कारण एक यात्री घायल हुआ है तथा अभियुक्तगण जमानत मिलने पर साक्ष्य को नष्ट करेंगे अथवा पुनः संगीन अपराध घटित करेंगे।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 20.12.17 को करीब 20:30 बजे फरियादी मंजूर अली ड्रायवर सवारी बस क्रमांक एम0पी0 30 पी 0196 को गोहद से सवारी लेकर ग्वालियर जा रहा था, तभी रास्ते में थाना मालनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुरीखा मोड़ पर पहुंचने पर पूर्व से मौके पर स्विफ्ट कार नंबर एम0पी0 07 सी.ई. 3083 सहित खड़े पांच व्यक्तियों द्वारा बस को रोकने पर ड्रायवर/फरियादी द्वारा बस को नहीं रोकने पर उनमें से किसी ने कहा कि के0पी0, मादरचोद ड्रायवर को गोली मार दो तो के0पी0 ने जान से मारने की नियत से 315 बोर की बंदूक से उसे गोली मारी जो उसके पीछे बैठी सवारी को लगी और चोट होकर खून बहने लगा तथा एक अन्य व्यक्ति ने भी 315 बोर की बंदूक से बस पर फायर किया।

उक्त घटना के तत्काल पश्चात् फरियादी ड्रायवर द्वारा घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर पुलिस बल के आ जाने पर उक्त घटना के संबंध में की गई रिपोर्ट पर से धारा 307, 294 व 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर, विवेचना के अनुक्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर सभी आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर 315 बोर की बंदूकों से नेशनल हाईवे पर सवारी बस के ड्रायवर पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये उस पर सवार यात्री रविंद्र चौधरी को घायल किया जाना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा उक्त संबंध में धारा 27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत किये गये प्रकटीकरण में भी आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया जाना अथवा उसमें सक्रिय रूप से संलिप्त होना बताया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त पवन सिंह ने भी उपरोक्तानुसार किये गये प्रकटीकरण में उक्त गंभीर प्रकृति की घटना में सक्रिय रूप से संलिप्त होना बताया है।

अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता सहित आवेदकगण की उक्त अपराध में संलिप्तता को देखते हुये आवेदकगण पवन सिंह, रवि सिंह, पारथ सिंह व विशन सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से

प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं०
स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत
बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)